न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **42/2021 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री महफूज अहमद पुत्र खादिम हुसैन शैख निवासी– वार्ड नं. 4 मस्जिद मोहल्ला आसीन्द, जिला– भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी असीन्द, भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :02.07.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 04.06.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 388948 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 23.03.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को दिनांक 05.04.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.06.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक रीडर/2021/956 दिनांक 28.06.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र से चाही गयी सूचना का नियमानुसार सूचना/जवाब प्रार्थी को दिनांक 25.06.2021 को उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी पावति रसीद संलग्न है। दिनांक 16.04.2021 से लॉकडाउन होने से प्रार्थी को नकल उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक02.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के धारा 19(1) के तहत)